रजिस्ट्री सं० डी॰एल॰-33004/97

REGISRERED. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 1997/ज्येष्ठ 22, 1919

No. 237] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 1997/JYAISTHA 22, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 1997

सा. का. नि. 319 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची
जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी
(सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ)
विनियमावली, 1997

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा – 28 में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की न्यासी परिषद ने निम्निलिखत नाम से विनियमावली बनाई है --

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997 है ।

(2) यह विनियमावली भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होगी ।

2. **उपादेयता :**

(1) विनियमावली निम्नलिखित पर लागू होगी :

(1) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास के सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा उनकी पत्नी/पति और

(2) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की सेवा में रहते हुए जो कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हुए उनकी पत्नियों/पतियों और उनके आश्रित बच्चों और

(3) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की सेवा से निवृत्त होने के उपरान्त मरने वाले कर्मचारी की पत्नी/पति जो किसी सार्वजनिक/निजी उपक्रम में और/या उपक्रम की किसी चिकित्सा लाभ योजना में स्वयं अथवा आश्रित के रुप में आर्थिक लाभ के लिये कमाते नहीं हैं ।

इस विनियमावली के सम्बंध में "सेवा निवृत्त कर्मचारी" से तात्पर्य --

(क) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की सेवा से अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त हुए/होने वाले कर्मचारी ।

(ख) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (सेवा निवृत्ति) विनियमावली के अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु से पूर्व सेवा निवृत्त हुए/होने वाले अथवा सेवा निवृत्त किये गये/किये जाने वाले कर्मचारी ।

(ग) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास की सेवा करने में असमर्थ होने पर अमान्य हुए/होने वाले कर्मचारी ।

(2) इस विनियमावली के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिये सेवा निवृत्ति के दिन से एक महीने के अंतर्गत विकल्प देना चाहिए । अगर कोई कर्मचारी पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं/मर चुके हैं तो उस स्थिति में सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पत्नियों/पतियों द्वारा इस विनयमावली के प्रारम्भ होने के 3 महीनों के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करना होगा ।

3. <u>व्यापकता :</u>

इस विनियमावली में अंकित अंशदान का भुगतान करने पर सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों व उनकी पत्नियों/पतियों अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पत्नी/पति तथा आश्रित बच्चों को (जिन्हें उपकृत कहा जाएगा) भी वैसी ही चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी जो जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास में कार्यरत कर्मचारियों को जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार) विनियमावली, 1993 के अनुसार दी जाती हैं । ये लाभ इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों पर भी आधारित होंगे ।

4. <u>अंशदान :</u>

(1) चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिये सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति या आश्रित को जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास को एकमुश्त रुप से वह राशि नकद रुप में निम्नलिखित प्रकार से देनी होगी ।

> "जब कोई कर्मचारी योजना में शामिल होगा तो उसको यथास्थिति पेंशन का रुपान्तरण या परिवार पेंशन के पूर्व एक महीने की पेंशन चाहे कर्मचारी का पद या श्रेणी कोई भी हो ।"

<u>नोट</u> : विनियमावली (4) के सन्दर्भ में "पहली श्रेणी", "दूसरी श्रेणी", "तीसरी श्रेणी" और "चौथी श्रेणी" का वही अर्थ है जो जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमावली, 1988 में दिया है । वास्तविक वर्गीकरण कर्मचारी के सेवा निवृत्त/मृत्यु/असमर्थ होने पर अमान्य होते समय उनके पद के आधार पर किया जाएगा ।

(2) जब तक कोई सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा दिवंगत कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी/पति या उसके आश्रित बच्चे अंशदान नहीं जमा करेंगे तब तक वे इस विनियमावली के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

(3) केवल विनियम 5(4) में दी गई दशा को छोड़कर किसी भी अन्य स्थिति में, दिया गया अंशदान या उसका कोई भाग वापस नहीं किया जायेगा ।

(कृपया पृष्ठ 3 पर देखें ...3/-)

5. **पंजीकरण :**

इस विनियमावली के अंतर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र (अनुबंध - 1) की दो प्रतियों में चिकित्सा सुविधा के लिये अंशदान के भुगतान की रसीद के सहित मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव को भेजना चाहिये । सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसकी पत्नी/पति अथवा दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति तथा आश्रित बालकों के पासपोर्ट आकार के 2 छाया चित्र भी अनुबंध - ख में दिये प्रपत्र में इस प्रकार की घोषणा के साथ भेजने चाहिए कि वह किसी संगठन में नौकरी करके कमाता नहीं है अथवा व्यापार भी नहीं करता है और/अथवा किसी अन्य संगठन की चिकित्सा लाभ योजना का लाभ नहीं उठाता है ।

(2) मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने पर उनको स्वयम् या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर निम्नलिखित रूप से प्रमाण पत्र देकर आवेदन पत्र को चिकित्सा अधीक्षक को अग्रेषित करना चाहिये ।

"मैंने स्वयं आवेदन पत्र की विषय वस्तु का सत्यापन इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर लिया है और यह प्रमाणित किया जात है कि आवेदक जवाहरलाल नेहरु पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997 के अंतर्गत लाभ उठाने का हकदार है । प्रकार क/ख" ।

(3) अगर यह पाया गया कि कोई आवेदक इस विनियमावली के अंतर्गत चिकित्सा लाभ पाने का हकदार नहीं है तो उसे मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव के द्वारा लिखित में सूचित किया जायेगा ।

(4) अगर आवेदक को इस विनियमावली के विनियम 2 के अंतर्गत लाभ उठाने का हकदार नहीं पाया गया तो उसके द्वारा किये भुगतान को लौटा दिया जायेगा ।

(5) मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर चिकित्सा अधीक्षक अनुबंध- "ग" में परिचय पत्र जारी करेगा तथा एक छाया चित्र परिचय पत्र पर चिपकायेगा । दूसरा छाया चित्र आवेदन पत्र पर चिपकाकर उसे अभिलेखों में रखेगा ।

(6) अगर कोई सेवा निवृत्त कर्मचारी या उसकी पत्नी/पति अथवा दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति किसी संगठन में नौकरी करके कमाता है तो उसे चिकित्सा अधीक्षक को यह बात लिखित में भेजनी चाहिए । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर चिकित्सा अधीक्षक को उसे जारी किया परिचय पत्र निरस्त कर देना चाहिए ।

(7) जब कोई परिचय पत्र बनाया या निरस्त किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्य प्रबंधक (वित्त) को देनी चाहिए ।

6. अगर कोई सेवा निवृत्त कर्मचारी/किसी दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति किसी संगठन में नौकरी करके कमाता है किन्तु वह वहां की चिकित्सा लाभ योजना में लाभ नहीं उठा सकता है तो वह इस विनियमावली में अंशदान देने तथा जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास अस्पताल द्वारा निर्धारित "ख" प्रकार की दरें चुकाने के बाद चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा ।

7. **दण्ड :**

अगर यह पाया गया कि कोई सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसकी पत्नी/पति या किसी दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति जो इस विनियमावली में एक बार भुगतान करके लाभ उठा रहे हैं तथा साथ ही वे किसी संगठन में नौकरी करके कमा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उनसे इलाज की कीमत "ग" प्रकार की दर से वसूल की जायेगी एवं वे विनियमावली के अनुसार आगे चिकित्सा लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।

8. **अन्य अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधाएं :**

अगर चिकित्सा अधीक्षक की राय में किसी रोगी की स्थिति इतनी अधिक गम्भीर या विशेष प्रकृति की है कि उसे स्वयं या न्यासी परिषद के अस्पताल के अलावा अन्य विशेषज्ञ या अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है तो वह रोगी को अन्य विशेषज्ञ या अस्पताल में इलाज के लिये भेज सकता है । अगर रोगी इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है तो विशेषज्ञ के या अस्पताल की सलाह से रोगी की परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है । चिकित्सा अधीक्षक रोगी को केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अंतर्गत सरकार मान्य विशेषज्ञ या अस्पताल में ही इलाज के लिये भेजेगा ।

9. **विविध :**

(1) सेवा निवृत्त कर्मचारी, उसकी पत्नी/पति या दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति जो अन्य संगठन में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं, वे भी विनियम (5) के अंतर्गत वहां नौकरी समाप्त होने पर निश्चित अंशदान का भुगतान करने पर चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होंगे ।

(2) चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा सुविधाएं उन्हें ही दी जाएं जिन्हें परिचय पत्र दिये गये हैं ।

(3) चिकित्सा अधीक्षक अनुबंध "घ" के अनुरुप रजिस्टर रखेंगे जिसमें यह दर्शाया हो कि इस विनियमावली के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा दी गई है तथा मुख्य प्रबंधक (वित्त) द्वारा समय-समय पर किये निरीक्षण के अवसर पर यह रजिस्टर दिखायेंगे ।

10. **सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने पर व्यय :**

इस विनियमावली के अंतर्गत आवेदकों से प्राप्त अंशदान को जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि में जमा कर दिया जाएगा तथा उनके चिकित्सा लाभ का व्यय भी इसी निधि से किया जाएगा । प्रत्येक तिमाही के अंत में मुख्य प्रबंधक (वित्त) को विवरण भेजते हुए यह दर्शाना होगा कि प्रत्येक रोगी को चिकित्सा लाभ देने में कितना व्यय हुआ ।

11. **निरसन :**

अगर इस विनियमावली के निरसन का प्रश्न उठेगा तो उसका निर्णय न्यासी परिषद द्वारा किया जाएगा ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 1997

G.S.R. 319 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust (Contributory Medical benefit after retirement) Rgulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

(CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following regulations, namely-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT-

(i) These Regulations may be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. EXTENT OF APPLICATION-

(1) The Regulations shall be applicable to:

(i) retired employees of JNPT and their spouses and

(ii) surviving spouses and the dependent minor children of the employees who die while in service in Jawaharlal Nehru Port Trust and is not gainfully employed in any organisation.

(iii) Spouse of the employee who retired from the services of Jawaharlal Nehru Port Trust and later dies and is not gainfully employed in the Public/Private

undertaking and/or covered by any medical benefit scheme of the undertaking either for himself/herself or as dependent.

"Retired employees" in relation to these Regulations mean-

(a) Employees who have retired/may retire from the service of the Jawaharlal Nehru Port Trust on attaining the age of superannuation.

(b) Employees who have retired/may retire or are/ may be retire prematurely under Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Retirement) Regulations.

(c) Employees who were invalidated/may be invalidated from service of Jawaharlal Nehru Port Trust.

(2) The option for obtaining medical benefits under these regulations should be given within a month of the date of retirement. In case of those who have already retired/died ,such option be exercise by the retired employee and or surviving spouse within 3 months from the date these regulations come into effect.

(3)SCOPE:

On payment of contribution hereafter specified in

these regulations, medical benefits on the same scale and conditions provided in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1993 for the employees in service with Jawaharlal Nehru Port Trust will be made available to the retired employee or surviving spouse and dependent minor children (referred to as beneficiaries hereinafter) and will be further subject to the conditions specified hereinafter in these regulations.

4. CONTRIBUTION

(i) For availing medical benefits under these regulations a retired employee or surviving spouse or dependent of the deceased employee will pay to the Jawaharlal Nehru Port Trust in cash the amount of one time lump sum contribution as follows:-

"one month pension before commutation or family pension as the case may be at the time of individual joining the "scheme" irrespective of designation and class of post".

<u>Note</u>

For the purpose of Regulation 4,the expression "Class I, Class II & Class III & Class IV" as the same meaning as respectively assigned to it in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1988. The actual classification will, however, be determined with reference to the

post held by the employee at the time of retirement/death/invalidation.

(ii) The benefit under these regulations would not be admissible until a retired employee or in the case of an eligible deceased employee his/her surviving spouse has paid the prescribed one time lump sum contribution.

(iii) The lump sum contribution once paid or any part thereof, will not be refunded on any ground whatsoever except as provided in Regulation 5(iv).

5 REGISTRATION:

(i) The application (in duplicate) in the prescribed proforma (Annexure "A") along with the receipt for payment of the contribution for the medical facilities under these Regulations should be made to the Chief Manager (Admn) & Secretary. Two copies of passport size photographs of the retired employees/his spouse and dependent minor children as the case may be should also be sent to the Chief Manager (Admn)& Secretary along with a declaration in the proforma Annexure "C" (attached) that he/she is/ not gainfully employed in any organisation or self employed and/or covered by any medical benefit scheme of any other organisation.

(ii) On receipt of the application by the Chief Manager (Admn)& Secretary, the Chief Manager(Admn)& Secretary or an officer appointed by him should record a certificate on the application as detailed here-

under and forward the application to the Medical Superintendent.

"I have personally verified the contents of the application with reference to records available with this department and it is certified that the applicant is eligible for the benefit under the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Contributory Medical Benefits after Retirement) Regulations,1997. Type A/B

(iii) In case it is found that the applicant is not eligible for medical benefit under these Regulations he should be intimated so in writing by the Chief Manager (Admn)& Secretary.

(iv) If the applicant is found not eligible for benefit under these Regulations in terms of Sub Regulations (2) of these Regulation, the lump sum payment made by him will be refunded to him.

(v) On receipt of the application through the Chief Manager (Admn) & Secretary, the Medical Supdt of the Jawaharlal Nehru Port Trust will issue an Identity Card in the prescribed proforma Annexure "B" (attached) with a copy of photograph duly pasted on it. The second copy of the photograph should be pasted on the application and kept for records.

(vi) If a retired employee or his/her spouse or surviving spouse in case of death of an employee is gainfully employed in any organisation, he/she should intimate the facts to the Medical Supdt.immediately in writing. On receipt of such information Medical Supdt should cancel the Identity Card issued to him/her.

(vii) When a Identity Card is issued or canceled, Chief Manager (Finance)should be informed accordingly.

If a retired employee /spouse of an eligible deceased employee is gainfully employed in any organisation but is not governed by medical benefits scheme of that organisation he shall be eligible for medical benefits under these regulations on payment of contribution and "B" type rates prescribed by the JNPT Hospital.

6. PENALTY:

If a retired employee, his/her spouse or surviving spouse of an eligible deceased employee who have enjoyed benefits under this Regulation under one time lump sum payment is subsequently found to be gainfully employed in any organisation or self employed during the period in which he/she had availed the treatment, the cost of medical treatment {at C type rate will be levied and collected from him } and he will forfeit the right to avail further benefit under these regulations.

7. FACILITIES OF MEDICAL ATTENDANCE & TREATMENT IN OTHER HOSPITALS:

If in the opinion of the Medical Supdt; the case of any patient is of such serious or special nature as to require attendance or treatment by a Specialist or hospital other than himself or the Board's hospital he may refer the patient to any Specialist or Hospital or if the patient is too ill to travel, arrange with the Specialists, or hospital to visit the patient for medical examination. The Medical Supdt shall refer the patient to a Specialist or hospital recognised by Government under the Central Civil Services(Medical Attendance) Rules.

8. MISCELLANEOUS:

(I) A retired employee, his/her spouse or spouse of an eligible deceased employee who is getting medical benefit from any other organisation will be eligible for medical benefit under clause 5 on conclusion of appointment in the organisation on payment of prescribed contribution.

(ii) The medical Supdt. will ensure that the medical facilities are extended only to the persons enumerated in the Identity Cards.

(iii) The Medical Supdt is required to maintain a separate register in the form shown in Annexure 'D' showing therein the persons to whom the medical facili-

ties are extended under these regulations and this register will be made available for periodical inspection of the Chief Manager (Finance).

9. EXPENDITURE ON PROVIDING MEDICAL BENEFITS TO THE RETIRED EMPLOYEES :

The contribution of applicants collected from under these Regulations will be credited to the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees Welfare Fund and the expenditure on providing medical benefits to them will also be met from that fund. A statement showing the expenditure incurred on providing medical benefit to them patient wise will be sent to the Chief Manager (Finance) at the end of every quarter of a year.

10 INTERPRETATION

If any question arises as to interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

अनुबंध "क"

ANNEXURE "A"

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997 में लाभ लेने के लिये आवेदन प्रपत्र ।

APPLICATION FORM FOR JOINING THE JNPT EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS 1997

---

1. सेवा निवृत्त/दिवंगत कर्मचारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   Name of the retired/deceased employee (in block letters)
2. (क) पदनाम/Designation
   (ख) कर्मचारी सं.-/Staff No.
   (ग) विभाग/Department
3. नियुक्ति की तारीख
   Date of appointment
4. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तारीख
   Date of Retirement/Death
5. अन्तिम वेतन/Last pay drawn
6. पत्नी/पति अथवा मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति का नाम तथा आश्रित बच्चों के नाम व जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करें)
   Names of the spouse or the surviving spouse and dependent children of deceased with date of birth (to be supported by attested copies of birth certificates)

क्र.सं. Sr. No.	नाम Name	सम्बंध Relation	जन्म तिथि Date of Birth	वर्तमान आयु Present a
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

7. आवेदक का नाम/Name of the applicant

8. स्थायी पता --

Permanent address --

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(Signature of the applicant)

टिप्पणी : योजना में लाभ लेने वाले सदस्यों को पासपोर्ट आकार के दो छाया चित्र अवश्य संलग्न करने हैं

Note : Two passport size photographs of the members joining the scheme must accompany.

मैंने स्वयं आवेदन पत्र की विषय वस्तु का सत्यापन इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर लिया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997 के अंतर्गत लाभ उठाने का हकदार है । प्रकार क/ख ।

It is certified that "I have personally verified the contents of the application with reference to records available with this department and it is certified that the applicant is eligible for the benefit under the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1997 Type A/B

मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव

Chief Manager (Admn.) & Secy.

अनुबंध – ख
ANNEXURE – B

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली 1997 में लाभ लेने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति का घोषणा पत्र ।

Declaration to be filled by retired employee or the surviving spouse at the time of joining the JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1997

1. मैं ---
कर्मचारी सं.------------------- पदनाम ---------------------------
विभाग : ------------------------------- दिनांक ----------------- से न्यासी परिषद की सेवा से निवृत्त हो गया हूं तथा यह घोषित करता हूं कि मैं या मेरी पत्नी/पति संगठन में नौकरी करके कमाते हैं/नहीं हैं; तथा मेरा कोई व्यापार है/नहीं है ।

I, the undersigned ______________________________
Staff No.____________ Designation ______________________
of ________________________ Department, retired from the servicwe of the Board with effect from ______________ do hereby declare that I am/am not or my spouse is/is not gainfully employed in any organisation or self employed.

या/OR

2. मैं, ---------------------- विभाग के स्वर्गवासी श्री/श्रीमती ------------
-----------------------कर्मचारी सं.------------- पदनाम ---------------
की पत्नी/पति -------------------------------------- जो परिषद की सेवा में रहते हुए/हुई दि.--------------- को दिवंगत/सेवा निवृत्त हुए/हुई यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं किसी संगठन में नौकरी करके कमाता/कमाती या व्यापार करता/करती नहीं हूं ।

I, undersigned, wife/husband of late Shri ____________________
________________ Staff No.______________ Designation ____________
of ______________________________ Department, died on ____________ while during the service/after retirement of the service of the Board with effect from ________________ do hereby declare that I am/am not gainfully employed in any organisation or self employed.

3. (कमाऊ व्यक्तियों के लिए)

मैं अपना व्यापार करता हूं अथवा ------------------------------ में दि.----
से सेवारत हूं । मैं वर्तमान नियोजक से चिकित्सा लाभ पाने का हकदार नहीं हूं ।

(In case of those who are employed gainfully)

I am self employed or I am employed with ____________________
____________ w.e.f. ____________ I am not entitled to
any medical benefit from the present employed.

हस्ताक्षर/Signature ____________________

परिचय पत्र सं./Iden.Card No. ____________________

Issued by ____________________ द्वारा जारी

अनुबंध – ग

ANNEXURE – C

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997

JNPT EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS 1997

परिचय पत्र सं.---------------

Identity Card No.___________

1. सेवा निवृत्त/दिवंगत कर्मचारी का नाम :
श्री/श्रीमती --
Name of the retired/deceased employee :
Shri/Smt. ___________________________________

कर्मचारी सं.-/Employee Number :_______________________

2. पत्नी/पति का नाम :
Name of the spouse ______________________________

3. आश्रित बच्चों के नाम -
Names of the dependent children

क्र.सं. Sr. No.	नाम Name	जन्म तिथि Date of Birth	वर्तमान आयु Present Age	केवल उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी नौकरी करते हुए मृत्यु हो जाती है। Only in case of those employee who die while in service
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

4. पात्रता की श्रेणी : क/ख
Grade of Eligiblity : A/B

चिकित्सा अधीक्षक का हस्ताक्षर
दिनांक :
SIGNATURE OF MEDICAL SUPDT.
DATE :

अनुबंध - घ

ANNEXURE - D

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरान्त अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियमावली, 1997 के अंतर्गत रजिस्टर रखने का प्रपत्र

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED UNDER THE JAWAHARLAL NEHRU PORT EMPLOYEES (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS 1997

सेवा निवृत्त/दिवंगत कर्मचारी का नाम Name of the retired/ deceased employees	सेवा निवृत्त कर्मचारी सहित पारिवारिक सदस्यों का नाम Name of family members including the retired employees	पदनाम कर्मचारी सं. तथा विभाग का नाम Designation Staff No. and Name of Department	वित्त विभाग में जमा किया अंशदान Contribution deposited with Finance Department			अंशदान एकत्र करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the officer collecting the contribution	अभ्युक्ति Remarks
			धनराशि रु.- Amount Rs.	भुगतान की तिथि Date of Payment	रोकड़ रसीद सं.- Cash receipt No.		
1	2	3	4	5	6	7	8

[F No. PR-12016/17/96-PE-I]
K. V. RAO, Jt. Secy.

[फा. सं. पी. आर.-12016/17/96-पी.ई.-I]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997